न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 14/2023

उनवान

1 मोडा पिता रूपा तेली उम्र वयस्क निवासी बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

—— वादी

बनाम

1. गीता पुत्री लेहरू तेली पत्नि कैलाश चन्द्र तेली उम्र वयस्क निवासी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा हाल निवासी बिधिया ज्योती स्कूल के पास, न्यू कॉलोनी फटवाडा फालना जिला पाली राज.
2. राजू पिता स्व. लेहरू तेली उम्र वयस्क निवासी बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
3. शम्भू पिता स्व. लेहरू तेली उम्र वयस्क निवासी बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
4. शान्ति पुत्री स्व. लेहरू तेली पत्नि राधेश्याम तेली उम्र वयस्क निवासी कुंवालिया तहसील गंगारार जिला चित्तोडगढ राज.
5. सहना पुत्री स्व. लेहरू तेली पत्नि सत्यनारायण तेली उम्र वयस्क निवासी उंचा तहसील राशमी जिला चित्तोगढ राज.
6. शम्भू दत्तक पुत्र गोवर्धन तेली उम्र वयस्क निवासी बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :::– श्री प्रवीण चौरडीया अधिवक्ता वादी
राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ
अनुपस्थित– प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06

निर्णय

दिनांक – 14.11.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक नियमित वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बरडौद पटवार हल्का क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल खसरा नम्बर 723/1 रकबा 0.6196 हैक्टयर, खसरा नम्बर 723/2 रकबा 0.4173 हैक्टयर भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 एवं बदामी पत्नि लेहरू लाल के सहखातेदारी अधिकारों में अभिलिखित है। बदामी देवी का स्वर्गवास हो चुका है। उपरोक्त वर्णित आराजियात भूभाग जमाबन्दी संवत् 2048–51 में मेघसिंह मुत्तबन्ना मोहन सिंह राजपूत 2/20, गोर्धन पिता रूपा तेली 11/20, मोडा लेहरू पिता रूपा तेली 7/20 हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। खातेदार मेघसिंह राजपूत के 2/20 में से रकबा 02 बिस्वा भूभाग 2875/723 खसरा नम्बर से बिनालाम हस्तग्त दर्ज कर दिया गया। जिसके पश्चात 723 मी. नम्बर रकबा 04–02 बीघा भूभाग में 3/5 की हिस्सेदारी गोरर्धन तेली एवं 1/5 की हिस्सेदारी मोडा ओर लेहरू तेली की रही। लेहरू तेली के स्वर्गवास हो जाने से विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के स्थान पर संयोजित है और गोरर्धन तेली के भी निधन हो जाने से बतौर वारिस प्रतिवादी संख्या 06 के स्थान पर अंकित है। अपने निहित 1/5 हिस्से भूभाग पर वादी आज भी काबिज हो निर्बाध काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात की संयोगवश जमाबन्दी की नकल निकाले जाने पर वादी को विदित हुआ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

कि वादी की आराजी भूभाग वर्तमान में सम्पूर्ण रूप से स्व. लेहरू तेली के अधिकारों में अभिलिखित कर दी गई है और वादी का नाम अभिलेखों से बिना किसी विधिक कारण के विलोपित कर दिया गया है। वादी का नाम खातेदारी हक से विलोपित करने के बाद प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 द्वारा मिलीभगती कर वादी का 1/5 हक हिस्सा निहित होते हुए भी माली कागजात मे विभाजन करा आराजी नम्बर 723/1 रकबा 0.6196 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 06 के नाम पर व आराजी नम्बर 723/2 रकबा 0.4173 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच के नाम पर दर्ज कर दिया है। तदोपरान्त अपने खाते में कारित दोषयुक्त ईन्द्राज की सम्पूर्ण जानकारी वादी को हुई। राजस्व कर्मचारियों को अभिलेखों में नये रोटेशन के इन्द्राज में नवीन प्रकार से किसी भी इन्द्राज को हेराफेरी कर राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करने का कोई वैधानिक अधिकार नही था। इसके उपरान्त भी वादी के हक स्वामित्व के भू–भाग को अभिलखों में सम्पूर्ण रूप से स्व. लेहरू तेली के मालिकाना हक में हस्तगत् कर दिया जो विधि द्वारा अमान्य होकर त्रुटिपूर्ण है। जमाबन्दी संवत् 2048–2051 के पश्चात आगामी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2052–2055 में इंद्राज के दौरान मोडा लेहरू पिता रूपा तेली 7/20 के स्थान पर केवल लेहरू पिता रूपा तेली का ही हिस्सा दर्ज कर दिया गया वादी का पूर्णतया जमाबन्दी से विलोपित कर दिया गया। इस अवैधानिक इंद्राज से वादी के सम्पूर्ण रूप से हक प्रभावित हो गये है। मूल रूप अभिलेखों में ऐसा परिवर्तन विधि द्वारा अमान्य होकर काबिले दुरूस्ति के है।

वर्णित आराजी नम्बर 723/1 रकबा 0.6196 हैक्टयर, आराजी नम्बर 723/2 रकबा 0. 4173 हैक्टयर भूमि मे राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वादी का नाम गलत तौर विलोपित कर दिया गया है, वास्तविक रूप से अभिलेखों में उक्त आराजियात मे वादी का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 एवं बदामी पत्नी लेहरू लाल का 1/5 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 06 का 3/5 हक हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। तद्नुसार दुरूस्तिकरण किया जाना कानूनन वादी के हितार्थ अतिआवश्यक है।

अतः ग्राम बरडौद पटवार हल्का क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल खसरा नम्बर 723/1 रकबा 0.6196 हैक्टयर, खसरा नम्बर 723/2 रकबा 0.4173 हैक्टयर भूभाग के राजस्व अभिलेखों में इंद्राज की दुरूस्ति कराई जाकर खसरान में वादी का 1/5, प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 एवं बदामी पत्नी लेहरू लाल का 1/5 व प्रतिवादी संख्या 06 का 3/5 मालिकाना हक आधिपत्य निर्धारित करते हुए वादी को 1/5 हिस्सेदारी से सहखातेदार कृषक घोषित कराया जावें तथा साथ ही किए जाने वाले दुरूिस्तकरण उपरान्त वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाना फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 16.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण विधिवत् तामील/सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध प्रतिवादीया संख्या 01 से लगायत 06 एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। वादी पक्ष द्वारा बतौर गवाह वादी मोडा पिता रूपा तेली उम्र वयस्क निवासी बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. का शहादत्त में शपथ–पत्र प्रस्तुत कराया गया जिसे शामिल मिसल कर, लाल स्याही से पी.डब्ल्यू–01 के अंकन कर, वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख, साबिक एवं चालू जमाबन्दी, पर क्रमशः प्रदर्श–1, से प्रदर्श–10 के अंकन किए गये।

प्रकरण को न्यायिक प्रक्रिया मुताबिक प्रक्रम बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया। नियत चरण में वादी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक श्री प्रवीण चौरडीया ने बहस में अपने अभिवचनों से वादपत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए, वादपत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत, साबिक एवं हाल राजस्व अभिलेखों एवं प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात के तुल्नात्मक परीक्षण/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ग्राम बरडौद पटवार हल्का क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल खसरा नम्बर 723/1 रकवा 0.6196 हैक्टयर, खसरा नम्बर 723/2 रकबा 0.4173 हैक्टयर भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 एवं बदामी पत्नि लेहरू लाल के सहखातेदारी अधिकारों में अभिलिखित है। जिसकी ताईद चालू जमाबन्दी संवत् 2076–79 प्रदर्श दस्तावेज संख्या 01, 02 से होना पाया गया है। उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या 723 रकबा 04–11 बीघा भूभाग जमाबन्दी संवत् 2048–51 में मेघसिंह मुत्तबन्ना मोहन सिंह राजपूत 2/20, गोर्धन पिता रूपा तेली 11/20, मोडा लेहरू पिता रूपा तेली 7/20 हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही थी। खातेदार मेघसिंह राजपूत के 2/20 में से रकबा 09 बिस्वा भूभाग 2875/723 खसरा नम्बर से बिनालाम हस्तगत दर्ज कर दिया गया। जिसके पश्चात 723 मी. नम्बर रकबा 04–02 बीघा भूभाग में 3/5 की हिस्सेदारी गोरर्धन तेली एवं 1/5 की हिस्सेदारी मोडा ओर लेहरू तेली की रही। उपरोक्त तथ्य नकल जमाबन्दी सवत् 2048–51 प्रदर्श दस्तावेज संख्या 03, नकल जमाबन्दी सवत् 2056–59 प्रदर्श दस्तावेज संख्या 05 से प्रमाणित होते है। वादी का नाम खातेदारी हक से विलोपन पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 द्वारा माली कागजात मे विभाजन करा आराजी नम्बर 723/1 रकबा 0.6196 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 06 के नाम पर व आराजी नम्बर 723/2 रकबा 0.4173 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच के नाम पर दर्ज कर दिया है। वादी की यह दलील नकल जमाबन्दी सवत् 2060–63 प्रदर्श दस्तावेज संख्या 06 सिद्ध होना पाया गया है। इस प्रकार वादी का कृषि आराजी भूभाग सम्पूर्ण रूप से स्व. लेहरू तेली के अधिकारों में अभिलिखित कर दी गई और वादी का नाम अभिलेखों से बिना किसी विधिक कारण के विलोपित कर दिया गया है। जमाबन्दी संवत् 2048–2051 के पश्चात आगामी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2052–2055 में इंद्राज के दौरान मोडा लेहरू पिता रूपा तेली 7/20 के स्थान पर केवल लेहरू पिता रूपा तेली का ही हिस्सा दर्ज कर दिया गया वादी का नाम पूर्णतया जमाबन्दी से विलोपित कर दिया गया। इस कारित भूल से निश्चित रूप से वादी के सम्पूर्ण रूप से हक प्रभावित हुए है। अदालत यह मानती है कि मूल रूप अभिलेखों में ऐसा परिवर्तन विधि द्वारा अमान्य होकर काबिले दुरूस्ति के है।

इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि जमाबन्दी संवत् 2048–2051 के पश्चात आगामी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2052–2055 में खातेदारों के अधिकारों में बिना कोई सक्षम आदेश/विधिक कारण के इंद्राज से परिवर्तित कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन वादी के हितार्थ आवश्यक होगा। वादी का कहना है कि वह अपने हक हकूक वाले भू–भाग पर काबिज है और इसका खण्डन रेकार्ड पर अदालत के समक्ष नही है। उपरोक्त विवेचनों के आधार पर वादी को उसके निहित दर्ज हिस्से मुताबिक आराजियात में मालिकाना हक तय किया न्यायोचित होगा है। परिणामस्वरूप भूभाग के राजस्व अभिलेखों में कारित इंद्राज को निष्प्रभावी घोषित कराया जाना कानूनन वादी के हितार्थ अनिवार्य है।

देखने पर यह सूस्पष्ट है कि जिस प्रकार से उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या 723 रकबा 04–11 बीघा भूभाग जमाबन्दी संवत् 2048–51 में मेघसिंह मुत्तबन्ना मोहन सिंह राजपूत 2/20, गोर्धन पिता रूपा तेली 11/20, मोडा लेहरू पिता रूपा तेली 7/20 हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही थी। ओर कालान्तर अवधि के जिसके पश्चात 723 मी. नम्बर रकबा 04–02 बीघा भूभाग में 3/5 की हिस्सेदारी गोरर्धन तेली एवं 1/5 की हिस्सेदारी मोडा ओर लेहरू तेली की रही। जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी

वत् 2048–2051 के पश्चात आगामी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2052–2055 में खातेदारों के अधिकारों में बिना कोई सक्षम आदेश/विधिक कारण के इंद्राज से परिवर्तित कर दिया गया है। यह नियमों/प्रावधानों के विपरीत होकर विधि द्वारा अमान्य है और इस कृत्य से वादी के हित निश्चित रूप से प्रभावित हुए है। जिसे दुरूस्त कराये जाने के वादी हकदार है। वादी पक्ष द्वारा दावे के माध्यम प्रस्तुत दलील/अभिवचन स्वीकृत किये जाते है।

ज़ाहिरा तौर पर वादी कानूनन वादग्रस्त खसरान में 1/5 हक हिस्से अनुसार बतौर मालिकाना हक अधिकार रखते है। कारित भूल को दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने के साथ कानूनन वादी के हितार्थ अनिवार्य है।

अतः इस प्रकार प्रकरण के अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात न्यायालय वादीगण के वादपत्र ब–हक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

::: आदेश :::

वाद–पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम बरडौद पटवार हल्का क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल खसरा नम्बर 723/1 रकबा 0.6196 हैक्टयर, खसरा नम्बर 723/2 रकबा 0.4173 हैक्टयर भूभाग के राजस्व अभिलेखों में इंद्राज की दुरूस्ति कराई जाकर खसरान में वादी का 1/5, प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 का 1/5 व प्रतिवादी संख्या 06 का 3/5 मालिकाना हक आधिपत्य निर्धारित करते हुए वादी को 1/5 हिस्सेदारी से सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से में आ रही भूमि निजाई में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

तहसीलदार हमीरगढ तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी:– नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14 / 2023

उनवान

1 मोडा पिता रूपा तेली उम्र वयस्क निवासी बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

––– वादी

बनाम

1 गीता पुत्री लेहरू तेली पत्नि कैलाश चन्द्र तेली उम्र वयस्क निवासी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा हाल निवासी बिधिया ज्योती स्कूल के पास, न्यू कॉलोनी फटवाडा फालना जिला पाली राज.

2 राजू पिता स्व. लेहरू तेली उम्र वयस्क निवासी बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

3 शम्भू पिता स्व. लेहरू तेली उम्र वयस्क निवासी बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

4 शान्ति पुत्री स्व. लेहरू तेली पत्नि राधेश्याम तेली उम्र वयस्क निवासी कुंवालिया तहसील गंगारार जिला चित्तोडगढ राज.

5 सहना पुत्री स्व. लेहरू तेली पत्नि सत्यनारायण तेली उम्र वयस्क निवासी उंचा तहसील राशमी जिला चित्तोगढ राज.

6 शम्भू दत्तक पुत्र गोवर्धन तेली उम्र वयस्क निवासी बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :::– श्री प्रवीण चौरडीया अधिवक्ता वादी
राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ

अनुपस्थित– प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06

दिनांक– 14.11.2024

वाद–पत्र अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस प्रकार जारी की जाती है कि–वाके ग्राम बरडौद पटवार हल्का क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा की सरहद में स्थित हाल खसरा नम्बर 723/1 रकबा 0.6196 हैक्टयर, खसरा नम्बर 723/2 रकबा 0.4173 हैक्टयर भूभाग के राजस्व अभिलेखों में इंद्राज की दुरूस्ति कराई जाकर खसरान में वादी का 1/5, प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 का 1/5 व प्रतिवादी संख्या 06 का 3/5 मालिकाना हक आधिपत्य निर्धारित करते हुए वादी को 1/5 हिस्सेदारी से सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से में आ रही भूमि निजाई में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। तहसीलदार हमीरगढ तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 14.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)